पी. सी. जैन, सी. मुख्य न्यायमूर्ति और एस. एस. कांग न्यायमूर्ति के समक्ष

सरला शर्मा, - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1986 का 440

30 जुलाई, 1986.

भारत का संविधान 1950 - *अनुच्छेद* 14 - *उनके द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणाम के आधार पर प्रत्येक शिक्षक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के वर्गीकरण के लिए सरकारी अनुदेश - एसीआर हालांकि, पहले की तरह लिखा जाना जारी रहा इस तरह के वर्गीकरण को केवल शिक्षकों की पदोन्नति या 55 से अधिक सेवा में बनाए रखने के समय ध्यान में रखा जाता है।उपरोक्त अनुदेश - क्या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में मनमाने और निरस्त किए जाने योग्य हैं।*

अभिनिर्धारित किया गया कि यह केवल उस स्तर पर है जब शिक्षक के मामले को 55 वर्ष की आयु से परे सेवा में पदोन्नति या प्रतिधारण के लिए लिया जाना है कि एसीआर को निर्देशों के प्रकाश में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा आकस्मिक और यहां तक कि लापरवाह तरीके से दर्ज की गई समग्र ग्रेडिंग के परिणामस्वरूप एक शिक्षक की क्षमता, क्षमता और उद्योग के बारे में पूरी तरह से विकृत तस्वीर पेश की गई, जिससे अयोग्य व्यक्तियों की सेवा में पदोन्नति या प्रतिधारण हुआ। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एक शिक्षक का मूल्यांकन, *अन्य बातों के साथ-साथ* पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर, मनमाना, सनकी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से असंगत है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के परिणाम स्पष्ट रूप से शिक्षक की क्षमता, क्षमता और उद्योग को दर्शाते हैं। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषय पर परिणामों के आधार पर एसीआर को वर्गीकृत करने के आक्षेपित अनुदेश किसी भी तरह से मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं हैं और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किए जाने योग्य नहीं हैं।

(पैरा 9, 13 और 17)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका *में प्रार्थना की गई है कि;*

I मामले का रिकॉर्ड मांगा जा सकता है।

II प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस देने से छूट दी जा सकती है

III अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है;

IV. याचिकाकर्ता को जूनियर को पदोन्नत किए जाने की तारीख से एच.ई.एस. द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और याचिकाकर्ता ने उस तारीख से सभी सेवा लाभ दिए।

V. यह कि पदोन्नति आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें याचिकाकर्ता को दरकिनार कर दिया गया है।

VI. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और *16 का उल्लंघन करने वाले अनुलग्नक* पी/4 *के रूप में संलग्न निर्देशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।*

VII. कि यह माननीय न्यायालय कोई ऐसा आदेश भी पारित कर सकता है जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त समझे;

VIII. याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील *आरके मलिक।*

प्रतिवादी के *लिए एजी (हरियाणा) की ओर से अधिवक्ता एच. एस. चहर।*

निर्णय

सुखदेव सिंह काँग न्यायमूर्ति

1. रिट याचिका के इस समूह (सीडब्ल्यूपी संख्या 440, 871, 1185, 1552 और 1986 के 1820) में याचिकाकर्ता सरकारी निर्देशों दिनांक 10 अगस्त, 1981 की वैधता, और संवैधानिकता पर सवाल उठाते हैं जो की शिक्षण पक्ष में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर) के वर्गीकरण का प्रावधान उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों के परिणामों के आधार पर प्रदान करता है। याचिकाकर्ता

श्रीमती सरला शर्मा (1986 का सीडब्ल्यूपी संख्या 440) और नरेंद्र नाथ गौड़ (1986 का सीडब्ल्यूपी संख्या 1820) को उनके कनिष्ठों द्वारा अगले उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए अधिक्रमित करने और 10 दिसंबर, 1985, 19 दिसंबर, 1985 और 1 जनवरी, 1986 को जारी नोटिस (सभी मामलों में अनुबंध संख्या 2) के आदेश भी समान रूप से जारी किए गए हैं। केवल सिंह राठी (1986 का सीडब्ल्यूपी सं. 1185) और नवल सिंह (1986 का सीडब्ल्यूपी सं. 1552) ने उपरोक्त निर्देशों के अनुसार उनके एसीआर के वर्गीकरण के आधार पर क्रमशः 55 वर्ष, आयु प्राप्त करने पर निर्णय लिया।

2. एक व्यापक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इन रिट याचिकाओं में सामने आने वाले फोरेंसिक विवाद की रूपरेखा को समझने में मदद करेगी।

3. श्रीमती। सरला शर्मा हिसार के सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी में लेक्चरर के रूप में काम कर रही थीं। वह 1974 से हिसार में तैनात थीं। फरवरी, 1985 में, हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशक ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह हरियाणा राज्य में तैनात होने के बाद द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नत होने के लिए तैयार है। इस पत्र का उद्देश्य पदोन्नति के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों से यह पता लगाना था कि क्या वे हरियाणा राज्य में कहीं भी तैनात होने के इच्छुक हैं या नहीं क्योंकि अधिकांश महिला अधिकारी पदोन्नति पर अपनी तैनाती के स्थानों को शामिल नहीं करती हैं और उनमें से कुछ अपनी वर्तमान तैनाती के स्थानों से अव्यवस्था से बचने के लिए अपनी पदोन्नति भी छोड़ देती हैं। ऐसे विकल्प अन्य पात्र व्याख्याताओं से भी मांगे गए थे। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि वह उस पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए तैयार थी। जुलाई 1985 में, व्याख्याताओं के बीच से द्वितीय श्रेणी सेवा में कुछ पदोन्नति की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता को हटा दिया गया और कुछ जूनियर महिला व्याख्याताओं को द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नत किया गया। श्रीमती कमला सीकरी, जो याचिकाकर्ता से जूनियर थीं और जनवरी 1980 की वरिष्ठता सूची में दिखाई गई थीं, को याचिकाकर्ता के दावों की अनदेखी करके पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता ने उसकी वरिष्ठता के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। याचिकाकर्ता को तब पता चला कि उसके द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर 10 अगस्त, 1981 के निर्देशों (अनुलग्नक पी.4 की प्रति) के अनुपालन में उसे हटा दिया गया था। उन्होंने कहा है कि पिछले दस वर्षों के लिए उनके एसीआर या तो अच्छे थे या बहुत

अच्छे थे और उन्हें कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई थी। उन्होंने चुनौती दी है कि परिणामों के आधार पर एसीआर के वर्गीकरण मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

4. याचिकाकर्ता नरेंद्र नाथ गौड़ राजकीय उच्च विद्यालय, रायपुर रानी, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला में सामाजिक अध्ययन मास्टर के रूप में कार्यरत थे। इतिहास में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए उनका मामला निदेशक, लोक निर्देश, हरियाणा को भेजा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे को नजरअंदाज कर दिया गया और कुछ व्यक्ति जो याचिकाकर्ता से जूनियर थे, उन्हें इतिहास में व्याख्याता के रूप में पदोन्नत किया गया, इस आधार पर कि उनके पास पिछले दस वर्षों की अवधि के लिए 10 प्रतिशत अच्छी रिपोर्ट नहीं थी और 10 अगस्त, 1981 के सरकारी निर्देशों (अनुबंध पी -3 की प्रति) को मध्यानज़र रखते हुए उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता था।

5. बनारसी दत्त, केवल सिंह राठी और नवल सिंह, जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1, भाग 1 के नियम 3.26 (बी) के तहत नोटिस दिया गया है, जिसे नियम 5.32 (ए) के साथ पढ़ा जाता है और पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II (हरियाणा राज्य के लिए लागू) के तहत उन्हें 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनके एसीआर के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए सरकारी निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत और डाउन-ग्रेड किया गया है।

6. प्रतिवादियों ने रिट याचिकाओं का विरोध किया है और इन निर्देशों द्वारा निर्धारित मानदंडों और वर्गीकरण के अनुसार याचिकाकर्ताओं के एसीआर के वर्गीकरण के आधार पर की गई कार्रवाई और लागू निर्देशों की घोषणा को उचित ठहराया है। तथ्यों और कानूनी मुद्दों की पहचान की समानता के कारण, रिट याचिकाओं को एक साथ सुना गया और एक आम फैसले द्वारा निपटाया जा रहा है।

7. याचिकाकर्ताओं के वकील श्री राम कुमार मलिक ने तर्क दिया है कि सरकार ने *एक शिक्षक/व्याख्याता के समग्र मूल्यांकन के लिए एसीआर की रिकॉर्डिंग के लिए* एक प्रपत्र निर्धारित किया था। नतीजतन रिपोर्टिंग अधिकारी को संबंधित शिक्षक का आकलन समय की पाबंदी, प्रदर्शन, अखंडता, पढ़ाए गए विषयों के परिणामों (और यदि परिणाम नकारात्मक हैं तो शिक्षक किस हद तक जिम्मेदार है), कक्षा के बाहर कर्तव्यों का प्रदर्शन, हेड-मास्टर / अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग और संबंधों के संदर्भ में करना होगा। इसलिए समग्र उन्नयन का संकेत देते समय, रिपोर्टिंग अधिकारी ने पहले से ही शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणामों को ध्यान में रखा है। एक शिक्षक के व्यक्तित्व और प्रदर्शन के सभी तथ्यों और

पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है और एसीआर में परिलक्षित होता है। यदि कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो उन्हें संबंधित शिक्षक को सूचित किया जाता है। यहां तक कि सलाह की प्रकृति में टिप्पणी भी व्यक्त की जाती है ताकि संबंधित शिक्षक उस मूल्यांकन से लाभान्वित हो सकें और सुधार करने का प्रयास कर सकें। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर एसीआर का वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना, सनकी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से असंगत है, अर्थात, एक शिक्षक के वास्तविक मूल्य और क्षमताओं का मूल्यांकन। एक शिक्षक का परिणाम पहले ही निष्कर्ष में प्रवेश कर चुका है जो शिक्षक के समग्र उन्नयन में समाप्त होता है। एक शिक्षक के मूल्य को आंकने के लिए प्रासंगिक इस एक कारक को अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है और इसे दो बार ध्यान में रखा जा सकता है - पहले एसीआर रिकॉर्ड करते समय और फिर एसीआर को वर्गीकृत करते समय। किसी विषय में एक कक्षा का परिणाम पूरी तरह से शिक्षक की क्षमता, और उद्योग पर निर्भर नहीं है। छात्रों की पृष्ठभूमि, और उनके मनोविज्ञान जैसे कई अन्य कारक कक्षा के अंतिम परिणाम में एक प्रमुख और कभी-कभी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए, एक शिक्षक का मूल्यांकन और मूल्यांकन, पूरी तरह से और यहां तक कि मुख्य रूप से पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर, निष्पक्ष और उचित नहीं कहा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कुछ मामलों में, 10 अगस्त, 1981 के निर्देशों के अनुसार उनके वर्गीकरण के बाद एसीआर प्रतिकूल रिपोर्ट बन जाते हैं। शिक्षकों/व्याख्याताओं को अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत करते समय और 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बने रहने के लिए शिक्षकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उन्हें ध्यान में रखा जाता है। फिर भी इन रिपोर्टों को संबंधित शिक्षकों को सूचित नहीं किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी, भेदभावपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली है और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में इस पर रोक लगाई गई है। अंत में, यह तर्क दिया गया था कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय के परिणाम के आधार पर एसीआर संकलित करने की पिछली विधि अधिक तर्कसंगत थी।

8. श्री मलिक द्वारा उठाए गए विवाद हमें प्रभावित नहीं कर पाए हैं। प्रारंभ में ही यह उल्लेख किया जा सकता है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को हरियाणा शिक्षा सेवा द्वितीय श्रेणी (विद्यालय एवं निरीक्षण पक्ष) में पदोन्नत करने के विषय पर दिनांक 10 अगस्त, 1981 के आक्षेपित निर्देश जारी किए गए हैं। 1986 के

सीडब्ल्यूपी संख्या 871, 1185 और 1552 में याचिकाकर्ताओं ने विशिष्ट शब्दों में यह दलील नहीं दी है कि 10 अगस्त, 1981 के लागू किए गए निर्देश 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा में बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए उनके मामलों पर लागू नहीं थे, और न ही हमारे समक्ष ऐसी कोई याचिका उठाई गई है।

9. सामान्यतया, एसीआर को रिकॉर्ड करने के लिए प्रो *फॉर्मा* में शामिल दिशानिर्देश एक शिक्षक के व्यक्तित्व, उपलब्धियों और समग्र प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने में मदद करते हैं। वे शिक्षण के तरीकों, सामान्य प्रदर्शन और संबंधित शिक्षक के आउटपुट में कमियों, को उजागर करने में भी मदद करते हैं। हालांकि, वर्षों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, यह महसूस किया गया कि कई मामलों में एक शिक्षक / व्याख्याता की समग्र ग्रेडिंग के बारे में टिप्पणी शिक्षक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और उसके प्रदर्शन और आउटपुट के बारे में मूल्यांकन के संतुलित आत्मसात का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जैसा कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा देखा और दर्ज किया गया है। कई रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एसीआर की समग्र ग्रेडिंग वास्तव में प्रोफार्मा में निहित प्रत्येक आइटम के संबंध में उस अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय/विषयों के परिणामों को अधिक महत्व देकर एसीआर को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए, 10 अगस्त, 1981 के आक्षेपित निर्देश जारी किए गए थे। यह निर्देश दिया गया था कि, एसीआर का मूल्यांकन शिक्षकों / व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों के परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया था कि यदि वर्ष के दौरान एक शिक्षक के चार परिणाम थे और उनमें से दो परिणाम प्लस और दो माइनस में थे, तो एसीआर की ग्रेडिंग में बदलाव नहीं किया जाना था और यदि तीन परिणाम प्लस में थे और ओर्ट माइनस में थे, फिर प्रत्येक परिणाम को संतोषजनक मानते हुए एसीआर की ग्रेडिंग को अपग्रेड किया जाएगा। यदि तीन परिणाम माइनस में और एक प्लस में थे, तो परिणामों को असंतोषजनक मानते हुए एसीआर को डाउन-ग्रेड किया जाएगा। एसीआर के वर्गीकरण की नई पद्धति किसी भी तरह से एसीआर के प्रमुख महत्व को कम नहीं करती है। एसीआर को रिकॉर्ड करने की विधि को बदलने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। वे पहले की तरह लिखे जाते रहे। यह केवल उस स्तर पर होता है जब किसी शिक्षक/व्याख्याता के मामले को अगले उच्च पद पर उसकी पदोन्नति या 55 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बनाए रखने के लिए लिया जाता है, तो एसीआर को आक्षेपित निर्देशों के आलोक में वर्गीकृत किया जाता है। एसीआर की

रिकॉर्डिंग में देखी गई कमियों को दूर करने के लिए विधि तैयार की गई है। कुछ रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा आकस्मिक और यहां तक कि लापरवाह तरीके से दर्ज की गई समग्र ग्रेडिंग के परिणामस्वरूप एक शिक्षक की क्षमता / क्षमता और उद्योग के बारे में पूरी तरह से विकृत तस्वीर पेश की गई, जिससे अयोग्य व्यक्तियों की सेवा में पदोन्नति या प्रतिधारण हुआ।

उच्च पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करने और सेवा से डेड वुड को हटाने के लिए "परिणामों के आधार पर एसीआर के वर्गीकरण के लिए एक तर्कसंगत विधि पेश की गई थी। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एक शिक्षक का मूल्यांकन, *अन्य बातों के साथ-साथ,* उसके द्वारा छात्रों को पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर मनमाना, सनकी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से असंगत है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के परिणाम स्पष्ट रूप से उसकी क्षमता, और उद्योग को दर्शाते हैं।

10. याचिकाकर्ताओं ने किसी विशेष मामले में यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री या डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणाम मनोवैज्ञानिक बनावट या छात्रों और उनके परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण खराब थे। रिट याचिकाओं में सुनाई गई कुछ अस्पष्ट सामान्यताओं के अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि खराब परिणाम संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए खराब निर्देशों के कारण नहीं था। दस लंबे वर्षों के लिए एसीआर को वर्गीकृत किया गया है। एक ही वर्ष में परिणाम निर्धारण कारक नहीं हैं। केवल यदि परिणाम तीन साल के लिए नकारात्मक हैं और किसी शिक्षक के एसीआर अच्छे या बेहतर श्रेणी के नहीं हैं, तो एक शिक्षक को इस हद तक डाउन-ग्रेड किया जाता है कि उसे पदोन्नत नहीं किया जा सकता है या सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है, वह 55 वर्ष का है।

11. एक स्कूल में प्रत्येक खंड या कक्षा एक काफी प्रतिनिधि मिश्रण या विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र हैं। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि किसी विशेष वर्ष के लिए किसी विशेष शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी या अधिकांश या अधिकांश छात्र कुछ भी सीखने में असमर्थ हो सकते हैं/ *एक* यथोचित प्रतिभाशाली शिक्षक अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है यदि वह अपनी कक्षा या अनुभाग या छात्रों को लगन से निर्देश प्रदान करता है। स्कूलों में छात्रों के पास प्रभावशाली दिमाग है जो शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रेरक निर्देशों द्वारा ढाला और विकसित और बेहतर हो सकता है, जैसा कि श्री मलिक द्वारा तर्क दिया गया है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि हर कक्षा में कम से कम कुछ छात्र हैं जो उन

घरों से आते हैं जहां माता-पिता अनपढ़ हैं या दुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं या जो उन्हें पढ़ाया जाता है उसे सीखने में असमर्थ हैं, अगर किसी कक्षा या अनुभाग के छात्र बड़ी संख्या में किसी विषय में फेल हो जाते हैं, तो शिक्षक दोष से बच नहीं सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट केवल तभी डाउनग्रेड की जाती है जब परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा में पास प्रतिशत से भी कम पास प्रतिशत होता है। इसलिए यहां तक कि एक शिक्षक जिसका परिणाम औसत परिणाम या परीक्षा के बराबर है, उसे भी किसी भी प्रतिकूल परिणाम के साथ नहीं देखा जाता है। केवल ऐसे शिक्षक के मामले में, जिनका परिणाम पिछले दस वर्षों में से तीन वर्षों में औसत से भी कम है, उनकी रिपोर्टों को डाउनग्रेड किया जाता है। फिर भी केवल शिक्षक, जिसके पास उस विशेष वर्ष के लिए सिर्फ एक अच्छी या औसत समग्र ग्रेडिंग थी, जब परिणाम औसत से नीचे था, वास्तविक अर्थों में पीड़ित होगा। यदि समग्र ग्रेडिंग बहुत अच्छी या उत्कृष्ट थी, तो एक कदम से भी डाउन-ग्रेडिंग शिक्षक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

12. श्रीमती सरला शर्मा, याचिकाकर्ता, हिसार में अंग्रेजी में एक शिक्षक / व्याख्याता के रूप में तैनात थीं, जो एक जिला मुख्यालय है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें अंग्रेजी भाषा के पूरी तरह से अनभिज्ञ अनपढ़ और नव-साक्षर परिवारों से आने वाले घटिया छात्रों को पढ़ाना पड़ा।

13. हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि परिणामों के आधार पर एसीआर का वर्गीकरण 55 वर्ष की आयु के बाद उच्च पद पर पदोन्नति या सेवा में प्रतिधारण के लिए एक शिक्षक की क्षमता / क्षमता और उद्योग का आकलन करने का एक तर्कसंगत तरीका है ।

14. उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान के साथ श्रीमती सरला शर्मा, याचिकाकर्ता की पिछले दस वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का सारांश संलग्न किया है, जिसमें परिणामों के आधार पर ग्रेडिंग, परिणाम और समग्र ग्रेडिंग दिखाई गई है। ये स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि एसीआर के वर्गीकरण के लिए तैयार की गई विधि उचित और उचित है। वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी ने उन्हें 'ए' और '+ ए' के रूप में वर्गीकृत किया था। एक विषय में उसका परिणाम दूसरे में प्लस और माइनस था। इसलिए, उनकी समग्र ग्रेडिंग 'बहुत अच्छी' और 'उत्कृष्ट' बनी रही। लेकिन 1978-79 से 1982-83 तक उन्होंने लगातार नकारात्मक परिणाम दिए थे। तब भी वर्ष 1980-81 के लिए उनकी ग्रेडिंग 'ए प्लस' से घटाकर 'वेरी गुड' कर दी गई थी। हालांकि, वर्ष 1978-79, 1981-82 और 1982-83 के लिए उनकी

समग्र ग्रेडिंग को 'बी प्लस' से 'औसत' तक कम कर दिया गया था, क्योंकि सभी विषयों में उनके परिणाम नकारात्मक थे। फिर, 1983-84 में, हालांकि एसीआर में ग्रेडिंग दर्ज और हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, फिर भी तीन विषयों में उनके प्लस पास प्रतिशत और एक विषय में माइनस प्रतिशत के आधार पर, उन्हें 'अच्छा' के रूप में मूल्यांकन किया गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर एसीआर के वर्गीकरण की विधि बिल्कुल मनमानी, सनकी या भेदभावपूर्ण नहीं है।

15. याचिकाकर्ताओं ने किसी भी पिछले निर्देशों की प्रतियां दायर नहीं की हैं ताकि हम आक्षेपित निर्देशों के साथ उनकी तुलना कर सकें और यह तय कर सकें कि क्या वे अधिक तर्कसंगत थे और उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करते थे। उन निर्देशों के अभाव में, हम उन पर और उनके तुलनात्मक मूल्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से, ऐसे किसी भी निर्देश के अभाव में, लागू किए गए निर्देशों को शिक्षकों के प्रति कठोर नहीं कहा जा सकता है।

16. श्री मलिक का यह तर्क कि परिणामों के आधार पर एसीआर को डाउन-ग्रेड किया जाता है, प्रतिकूल रिपोर्ट बन जाता है, आक्षेपित निर्देशों के वास्तविक आयात की गलत धारणा से उपजा है। इस प्रकार एसीआर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। केवल उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से या 55 वर्ष की आयु से परे सेवा में प्रतिधारण के लिए शिक्षक की उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से एसीआर को परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। परिणाम शिक्षकों को पहले से ही पता है। रिपोर्ट, यदि वे अन्यथा प्रतिकूल नहीं हैं, तो उन्हें सूचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, वर्गीकरण का गैर-संचार किसी भी तरह से संबंधित शिक्षक को पूर्वाग्रह नहीं करता है।

17. संक्षेप में, हमारा दृढ़ विचार है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर एसीआर को वर्गीकृत करने के लिए आक्षेपित निर्देश किसी भी तरह से मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। श्री मलिक ने यह दिखाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया है कि याचिकाकर्ताओं श्रीमती सरला शर्मा और नरेंद्र नाथ गौड़ को पदोन्नत नहीं करने या समय से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए कदम उठाने में प्रतिवादियों की आक्षेपित कार्रवाई / आदेश, याचिकाकर्ता बनारसी दत्त, केवल सिंह राठी और नवल सिंह, याचिकाकर्ताओं में किसी भी कानूनी खामी या दोष से ग्रस्त हैं।

18. पूर्वगामी कारणों से हमें इन याचिकाओं में कोई दम नजर नहीं आता और हम इन्हें खारिज कर देते हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा